

specified in the schedule below as  
wild buffalo sanctuary:

**SCHEDULE**

District—Raipur.

Forest Division—East Raipur.

Name of the Ranges—Nainpur, Deobhog

Name of the Sanctuary—Udanti Wild  
buffalo Sanctuary.

Area—247.59 Sq. Km.

Name of the villages falling within the  
boundary—Jangda, Dumarpara,  
Bargaon (Kurubhata) Jungad,  
Amad, Karrajhar, Nagesh, Koyba,  
Bamnihole, Sahbin.

**Boundary description**

North—Northern boundary of P.F.  
Compartment Nos. 364, 363, 345,  
346, 347, 321, 320, 350 and 352.

East—Inter-state boundary of the  
States of M. P. and Orissa.

South—Diyapani nala which makes the  
Southern boundary of Compart-  
ment Nos. 525, 530, 501, 496, 489  
Adharinala which makes the south-  
ern boundary of Compartment No.  
480, Eastern boundary of Compart-  
ment Nos. 481, 482 Southern bound-  
ary of Compartment Nos. 475, 446,  
442, 443 and Eastern boundary of  
Compartment No. 444.

West—Western boundary of Compart-  
ment Nos. 372, 375, 380, 395, 396,  
397, 439, 437, Eastern boundary of  
Compartment No. 443. Western  
boundary of Compartment Nos. 442  
and 443.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
J. B. LAL, Dy. Secy.

दोसाज, दिनांक 10 मार्च 1983.

नं. 15-5-83-सम-2.—जुकि राज्य शासन का यह निवार है  
कि नीचे दी गई अनुमति में निम्नलिखित क्षेत्र, अन्य प्राणिकों को उचित निम्न  
परिस्थितियों का संरक्षण, करने उचित विचार तथा विभाग  
युक्त के प्रयोजन के लिए प्राणी जाति तथा प्राणी विज्ञान की दृष्टि से  
निम्नलिखित है;

अनुमति वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 (53 वां कर्मांक  
1972) की धारा 13 (1) द्वारा प्रदेश अधिकारियों को प्रयोग में आने

शुभपुत्री

नीचे निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े बाघों को सुरक्षित रखने के लिए

कामकाय—राज्य सरकार

जिला—मण्डला

परिक्षेत्र का नाम—मोती नाला

अवधारण का नाम—फेन अमयारण्य (फेन पाटनोनीय प्रोटेक्ट  
टांगर)

क्षेत्रफल—110.74 वर्ग किलोमीटर

**सीमा विवरण**

पूर्व—वनकोष्ठ क्रमांक 449, 452-अ, 510-अ और 509-अ  
की पूर्वी सीमा जो कि मण्डला एवं राजनांदगांव जिलों की  
अंतर सीमा बनती है

उत्तर—वन कोष्ठ क्रमांक 509-अ की उत्तरांच सीमा, इसके बाद  
साजलमान वनप्रभाग की उत्तरी सीमा जो कि वन कोष्ठ  
क्रमांक 508-अ और 507-ब के साथ बनती है। इसके बाद  
वन कोष्ठ क्रमांक 507-अ की उत्तरांच सीमा, फिर वनकोष्ठ  
क्रमांक 488 का पूर्वी सीमा, इसके बाद वन कोष्ठ क्रमांक 488  
489, 471 का उत्तर सीमा 492 की उत्तर-दक्षिण सीमा  
एवं 493 एवं 494 की उत्तरांच सीमा, फिर वनकोष्ठ क्रमांक  
494 की उत्तर सीमा। इसके बाद वन कोष्ठ क्रमांक  
500 एवं 499 की उत्तरी सीमा

पश्चिम—वन कोष्ठ क्रमांक 499, 521 एवं 523 का पश्चिमी  
सीमा

दक्षिण—वन कोष्ठ क्रमांक 523, 520, 519, 517 एवं 516  
की दक्षिण सीमा। इसके बाद वन कोष्ठ क्रमांक 514  
का पश्चिमी सीमा। फिर वनकोष्ठ क्रमांक 445, 444, 447,  
450-ब एवं 449 की दक्षिणी सीमा अर्थात् वन कोष्ठ  
क्रमांक 449 की पूर्वी सीमा से मिलती है

मध्यप्रदेश के शासन के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. बी. लाल, उप-सचिव

दोसाज, दिनांक 10 मार्च 1983

नं. 15-5-83-सम-2.—राज्य के संविधान के अनुच्छेद 348 के  
अनुच्छेद (3) के प्रावधान में इस विचार के अंतर्गत नं. 15-5-83-  
सम-2, दिनांक 10 मार्च 1983 का प्रवेष्टा अनुसूचक का अंतर्गत  
प्राधिकार से एकाधिकार प्रकाशित किया जाता है

मध्यप्रदेश के शासन के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. बी. लाल, उप-सचिव

180

Bhopal, the 10th March 1983

No. 15-5-83-X-2.—Whereas the State Government considers that the area specified in the schedule below is of adequate faunal and zoological significance for the purpose of protecting propagating and developing wild life and its environment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18(1) of the wildlife (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the State Government hereby declares as said area to be a sanctuary :—

SCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below :—

Forest division— South Mandla.

District—Mandla.

Range—Motinala.

Name of Sanctuary—Phen Sanctuary (Phen micro-core project Tiger Kanha).

Area—110.74 Sq. km.

Boundary description :

East—Eastern boundary of compartment Nos. 449, 452A, 510A and 509A which also forms the inter-district boundary between Mandla and Rajnandgaon districts.

North—Northern boundary of Compartment No. 509A then Northern boundary of Sajalagaon forest village which forms the Northern boundary of Compartment Nos. 508B and 507B, thereafter Northern boundary of Compartment No. 507A, then Eastern boundary of Compartment No. 488, Northern boundary of Compartment Nos. 488, 489, 471, N.W. Boundary of C. N. 492 Northern boundary of Compartment Nos. 493 and 494 then western boundary of compartment No. 494 then Northern boundary of Compartment Nos. 500 and 499.

West—Western boundary of Compartment Nos. 499, 521 and 523.

South—Southern boundary of Compartment Nos. 523, 520, 519, 517 and 51, then Western boundary of Compartment Nos. 514 thereafter Southern boundary of Compartment Nos. 445, 446, 447, 450A and 449, till it meets to the eastern boundary of Compartment No. 449.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, J. B. LAL, Dy. Secy

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 1983.

15-5-83-X-2.—जुनि राज्य सरकार का यह विचार है कि नीचे दर्शाया गया निम्नलिखित क्षेत्र वन्य जीव, वनस्पति प्राणी विज्ञान एवं प्राकृतिक दृष्टि से वन्य प्राणी एवं इनके पर्यावरणको बिना निजोपकार के नष्ट होने से संरक्षण, पुनर्जनन एवं निवृत्त पक्षीय वन्य

अतः वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (क्रमांक 53, सन 1972) की धारा 18 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये क्षेत्रों को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भोपाल वन भेगा अभयारण्य घोषित करता है :—

अनुसूची

जिला—बस्तर.

समूह—मोतिमल बस्तर.

परिक्षेत्र—मोतिमल.

अभयारण्य का नाम—मोतिमल वन भेगा अभयारण्य.

क्षेत्र का रकबा—प्रादेशिक वन 119.47 वर्गकिलोमीटर.

संरक्षित वन 3.30 वर्ग किलोमीटर.

अयोग्यता का क्षेत्र—रेवेन्यू खंड 12, 12 वर्ग किलोमीटर.

138.75 वर्ग किलोमीटर.

सीमा

पूर्व—वनस्पति-भोपाल-नवदुर्ग रोड पर निर्मात्री वृक्षारोपण 1968 की पूर्वी सीमा कन्स्ट्रैटमेंट नं. सी. 613, 98 पी., 1574 पी. की पूर्वी सीमा 1572 पी. की दक्षिण पूर्वी सीमा 1571 की पूर्वी.

उत्तर—बड़े पत्थरी ग्राम से जेपूर ग्राम तक इन्द्राणी नदी.

पश्चिम—कन्स्ट्रैटमेंट नं. 83, 80, 109, 112 की पश्चिमी सीमा.

मध्य प्रदेश शासन  
वन विभाग

(18)

अनुसूचना

क्रमांक 15/5/83/10/2

प्रमाण, दिनांक

10.3.83

युक्ति राज्य शासन का यह विचार है, कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, वन्य प्राणी तथा उनके लिए आवश्यक परिस्थितियों का संरक्षण करने उसका विस्तार तथा विकास करने के प्रयोजन के लिए प्राणी जाति तथा प्राणी विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है।

इसपर नार्थवुड लार्सक प्रोटेक्शन एक्ट 1972 (53 सं. 1972) की धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उपर्युक्त क्षेत्र को अभ्यारण्य (मेन्चुरी) के रूप में घोषित करता है।

अनुसूची

नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अन्तर्गत क्षेत्र

अनमण्डल -

दक्षिण मण्डल

जिला -

मण्डला

परिचय का नाम -

भीती नाला

अभ्यारण्य का नाम -

केन अभ्यारण्य (केन मासकुंडोर गुडवट टाकसर)

क्षेत्रफल -

110.74 वर्ग किलोमीटर

सीमा विवरण :-

पूर्व :-

बनकोट क्रमांक/449, 452 अ, 510 अ और 509 अ की पूर्वी सीमा जो कि मण्डला एवं राजनांदगांव जिलों की अंतर सीमा बनाती है।

उत्तर :-

बनकोट क्रमांक 509 अ की उत्तरीय सीमा/ इसके बाद साजालगाम बगाम की उत्तरी सीमा जो कि बन कोट क्रमांक 508 अ और 507 अ के द्वारा बनती है। इसके बाद बन कोट क्रमांक 507 अ की उत्तरीय सीमा, फिर बनकोट क्रमांक 438 की पूर्वी सीमा/ इसके बाद बन कोट क्रमांक 488,

489, 471 की उत्तर सीमा 492 की उत्तर पश्चिम सीमा एवं 493 एवं 494 की उत्तरी सीमा फिर वन कोष्ट क्रमांक 494 की पश्चिमी सीमा । इसके बाद वन कोष्ट क्रमांक 500 एवं 499 की उत्तरी सीमा ।

पश्चिम:- वन कोष्ट क्रमांक/499, 521 एवं 523 की पश्चिम सीमा ।

दक्षिण:- वन कोष्ट क्रमांक 523, 520, 519, 517 एवं 516 की दक्षिणी सीमा ।

इसके बाद वन कोष्ट क्रमांक 514 की पश्चिमी सीमा फिर वनकोष्ट क्रमांक 445, 446, 447, 450 अ एवं 449 की दक्षिणी सीमा जहाँ तक की वन कोष्ट क्रमांक 449 की पूर्वी सीमा से मिलती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

॥ जे. बी. लाल ॥  
उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक 15/5/83/10/2

शेषाल, दिनांक 10/3/83

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड {3} के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15/5/83/10/2 दिनांक 10/3/83 की खोजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से पत्रद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

॥ जे. बी. लाल ॥  
उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

763

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, FOREST DEPARTMENT  
NOTIFICATION

Bhopal, dated 10/3/83 1983.

No. 15/5/83/10/2

Whereas the State Govt. considers that the area specified in the schedule below is of adequate faunal and zoological significance for the purpose of protecting propagating and developing Wildlife and its environment.

Now, therefore in exercise of the power conferred by Section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the State Govt. hereby declares at said area to be a Sanctuary.

SCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below :-

- Forest division      \* South Mandla
- District              \* Mandla
- Range                 \* Motinela
- Name of Sanctuary   \* Phen Sanctuary (Phen micro-core project Tiger Kanha)
- Area                    \* 110.74 sq.km.

Boundary description:

East: Eastern boundary of compartment Nos. 449, 452A, 4510A and 509A which also forms the inter-District boundary between Mandla and Rajnandgaon Districts.

North: Northern boundary of Comptt No. 509A then Northern boundary of Sajalagan forest village which forms the Northern boundary of compartment Nos. 508B and 507B, thereafter northern boundary of Comptt. No. 507A, then Eastern boundary of Comptt No. 488, Northern boundary of Comptt. No. 488, 489, 471, N.W. Boundary C.N. 492 Northern boundary of Comptt. No. 493 and 494 then western boundary of comptt. No. 494 then Northern boundary of Comptt. Nos. 500 and 499.

West: Western boundary of Comptt. Nos. 499, 521 and 523.

South: Southern boundary of Comptt. Nos. 523, 520, 519, 517 and 516 then western boundary of comptt. Nos. 514 thereafter Southern boundary of Comptt. Nos. 445, 446, 447, 450A and 449, till it meets to the eastern boundary of Comptt. No. 449.

By order and in the name of  
the Governor of M.P.

( J.B. Lal )  
Dy. Secretary to Government of MP  
Forest Department